(51)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2017/3806 विरूद्ध आदेश दिनांक 31.08.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 520/अपील/14-15.

---

1. करनसिंह आ. स्व. श्री भवर सिंह
2. लक्ष्मण सिंह आ. स्व. श्री भवर सिंह

निवासीगण एवं कृषक ग्राम पलोहा

तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन, म.प्र. ....आवेदकगण

विरूद्ध

1. भुजवलसिंह आ. स्व. श्री भवर सिंह
2. अनूपसिंह आ. स्व. श्री भवर सिंह

निवासीगण एवं कृषक ग्राम पलोहा

तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन, म.प्र. ....अनावेदकगण

श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री मेहरबानसिंह, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 1

श्री जगदीश जैन, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/9/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 31.08.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पिता व माता के मृत होने पर तहसीलदार, बेगमगंज द्वारा नामांतरण पंजी पर पुत्र करनसिंह, लक्ष्मण सिंह एवं अनूपसिंह के नाम प्रश्नाधीन

वादित भूमि का नामांतरण किया। अनावेदक क्र. 1 भुजवलसिंह द्वारा तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, बेगमगंज के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई कि मृतक अमरसिंह (पिता) एवं मुरलीबाई (मां) की तीन नहीं पांच संतान थी। प्रश्नाधीन भूमि पर उनके भी नाम समान भाग पर नामांतरण किया जावे। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 18/अपील/अ-27/14-15 दर्ज कर दिनांक 06.04.2015 को आदेश पारित कर मृतक भवरसिंह के स्थान पर उनके चारों पुत्रों एवं एक पुत्री रामकली बाई के नाम समान भाग पर नामांतरण के आदेश पारित किये गये। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण एवं अनावेदक क्र. 2 द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 31.08.2017 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) ग्राम पलोहा तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन स्थित 23.32 एकड़ भूमि राजस्व रिकॉर्ड में आवेदकगण एवं अनावेदकगण के पिता श्री भवरसिंह एवं मां श्रीमती मुरलीबाई के नाम पर पृथक-पृथक दर्ज थी। अनावेदक क्र. 1 अपने माता पिता के जीवनकाल में ही अपने परिवार से अलग हो गया था। इसलिए पिता श्री भवरसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त 23.32 एकड़ भूमि 11.00 का पृथक से बंटवारा अनावेदक क्र. 1 के पक्ष में कर दिया था। माता-पिता के स्वर्गवास के उपरांत आवेदकगण एवं अनावेदक क्र. 2 को उक्त 23.32 एकड़ भूमि में से 12.32 एकड़ भूमि प्राप्त हुई है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार किये विवादित आदेश पारित करने में त्रुटि की है।

(2) अनावेदक क्र. 1 ने अपने पिता से बंटवारे में भूमि प्राप्त करने के उपरांत बंटवारे में प्राप्त भूमि को विभिन्न व्यक्तियों को पंजीकृत विक्रय पत्रों के माध्यम से विक्रय की गई, परंतु अनावेदक क्र. 1 द्वारा उक्त तथ्यों को छुपाते हुए अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी। आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को उक्त सम्पूर्ण तथ्यों से अवगत भी कराया गया था, परंतु अधीनस्थ न्यायालयों ने आवेदकगण द्वारा उठाये गये तथ्यों पर विचार किये बिना ही विवादित आदेश पारित किये हैं।

(3) आवेदकगण एवं अनावेदकगण एक ही ग्राम में निवास करते हैं। अनावेदक क्र. 1 को इस तथ्य की भलीभांति जानकारी थी। प्रश्नाधीन राजस्व रिकॉर्ड में, आवेदकगण के नाम दर्ज हो गई है। अनावेदक क्र. 1 को क्योंकि पूर्व में भूमि बंटवारे में प्राप्त हो गई थी। इसलिए उसके द्वारा आवेदकगण के नाम पर हुए नामांतरण के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई कार्यवाही नहीं की गई, परंतु जब अनावेदक द्वारा उसके हिस्से की सम्पूर्ण भूमि विक्रय कर दी गई तो वह भूमिहीन हो गया। इसलिए अनावेदक क्र. 1 द्वारा लालचवश आवेदकगण के पक्ष में की गई नामांतरण एवं बंटवारे की कार्यवाही के विरूद्ध समयावधि बाह्य न्यायालयीन कार्यवाही की गई, परंतुदोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त महत्वपूर्ण बिन्दु पर विचार किये बिना ही विवादित आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है।

(4) आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई विवादित कार्यवाही के संबंध में विभिन्न वैधानिक आपत्तियां उठाई गई थी, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण द्वारा उठाई गई वैधानिक आपत्तियों का निराकरण किये बिना ही विवादित आदेश पारित किया गया है, जो कि अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है।

(5) दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विवादित आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य की ओर भी ध्यान नहीं दिया कि उभय पक्षो को अपने पिता की सम्पत्ति में से समान हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। अनावेदक क्र. 1 पूर्व ही अपने पिता की सम्पत्ति में से अपने हिस्से से अधिक भूमि प्राप्त कर चुका है। इसलिए अनावेदक क्र. 1 को आवेदकगण के पक्ष में हुए नामांतरण एवं बंटवारे की कार्यवाहियों के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही करने की अधिकारिता नहीं है, परंतु दानों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विचाराधीन आदेशों के द्वारा आवेदकगण को उनके वैधानिक अधिकारों से वंचित किये जाने का प्रयास किया गया है।

(6) राजस्व न्यायालयों को स्वत्व का निराकरण का क्षेत्राधिकार नहीं है। स्वत्व का निराकरण केवल व्यवहार न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। अनावेदक क्र. 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष वास्तवित तथ्यों को छुपाते हुए स्वत्व के आधार पर प्रकरण प्रस्तुते किया गया था, परंतु दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार किये बिना ही विवादित आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है।

(7) विधि का यह मान्य सिद्धांत है कि जो व्यक्ति विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं है तो उसे अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करने बावत् सर्वप्रथम अनुमति दिये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनावेदक क्र. 1 विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण में पक्षकार नहीं थे। इसलिए उन्हें अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था, परंतु अनावेदक क्र. 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिये जाने के संबंध में कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था, परंतु अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त वैधानिक तथ्य पर विचार किये बिना ही विवादित आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है।

(8) अधीनस्थ न्यायालयों ने विवादित आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य की ओर भी ध्यान नहीं दिया कि अनावेदक क्र. 1 द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि उसे पूर्व में बंटवारे में पर्याप्त भूमि प्राप्त हो चुकी है। इस संबंध में अनावेदक क्र. 1 द्वारा इकरारनामा भी निष्पादित किया गया था। आवेदकगण द्वारा अनावेदक क्र. 1 द्वारा निष्पादित इकरारनामे की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, परंतु अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्य पर विचार किये बिना ही विवादित आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है।

(9) अनावेदक क्र. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष इस तथ्य को स्पष्ट नहीं किया गया कि उसके द्वारा समय-समय पर विभिन्न व्यक्तियों को जो लगभग 11.00 एकड़ भूमि विक्रय की गई है, वह भूमि अनावेदक क्र. 1 को कहां से प्राप्त हुई है तथा 11.00 एकड़ भूमि विक्रय करने के उपरांत अनावेदक क्र. 1 को किन आधारों पर प्रश्नाधीन भूमि में से हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है, जबकि आवेदकगण द्वारा उक्त तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष पूर्णतः प्रमाणित किया गया था, परंतु दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने विवादित भूमि से संबंधित उक्त तथ्यों पर विचार किये बिना ही विवादित आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है।

उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल एवं अनुविभागीय अधिकारी, बेगमगंज द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है। यह तर्क भी प्रस्तुत

किया गया कि दो अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि पंजी पर सभी वैध वारिसों के नाम छुपाये गये है, सभी वैध वारिसों को सूचना भी नहीं दी गई है । अतः समय सीमा पर अपील में खारिज करना उचित नहीं था । अनुविभागीय अधिकारी ने सभी पांचों वारिसान के नाम नामान्तरण कर सही किया है, जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त द्वारा भी की गई है । अतः इस संबंध अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है । इस संबंध में 2012 आर.एन. 391 ओमप्रकाश विरूद्ध मनोहर तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

> "धारा 50 - व्याप्ति निचले न्यायालयों के आदेश वैधानिक तथा उचित- पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं ।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 31-8-2017 नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 31-8-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर